निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 35 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **मुख्य अभियन्ता, स्तर-I, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून,** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, स्तर-I, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून के माह 06/2017 से 07/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री राजेश कुमार सिन्हा, श्री भारत सिंह, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी एवं श्री अंकित पांडे, लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 03/08/2018 से 07/08/2018 तक श्री सुधीर श्रीवास्तव, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग -I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखा परीक्षा सर्व श्री अनिल कुमार शर्मा एवं श्री राजेश कुमार सिन्हा, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों एव श्री जयंत प्रकाश, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 19.06.2017 से 24.06.2017 तक श्री सुधीर श्रीवास्तव, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में संपादित की गई थी एवं उक्त लेखा परीक्षा में माह 10/2016 से 05/2017 तक के लेखा अभिलेखों की सामान्यतः जांच की गई थी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः **जिला देहरादून एवं हरिद्वार**

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(` लाख में)

वर्ष	मुख्य लेखा शीर्ष	आवंटन	व्यय
2015-16	2059	-	-
2016-17	2059	72.34	62.00
2017-18	2059	185.22	160.14
2018-19 (माह 07/2018 तक)	2059	146.16	70.77

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय अधिक्य (+)	बचत (-)
शून्य					

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "C" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड

⇩

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

⇩

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1), क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** कार्यालय मुख्य अभियन्ता, स्तर-I, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून के माह 06/2017 से 07/2018 तक किए गए लेन-देन की लेखा परीक्षा की गयी और अधिक व्यय वाले माह को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय मुख्य अभियन्ता, स्तर-I, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 06/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में किया निरीक्षण : **लागू नहीं**

4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी _____ तक की गई : **लागू नहीं**

भाग-2 (ब)

प्रस्तर (1):- लेबर लाईसेन्स नहीं प्राप्त किए जाने के कारण जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र मसूरी के क्रिक्रेग में मल्टीलेवेल कार पार्किंग निर्माण कार्य सम्पादन में बेवजह देरी।

मसूरी के क्रिक्रेग में मल्टीलेवेल कार पार्किंग निर्माण कार्य जो कि लोक निर्माण विभाग में पर्यटन विभाग के निक्षेप कार्य के रूप संपादित की जा रही है। इस कार्य के लिए `3195.38 लाख की वित्तीय स्वीकृति मार्च 2013 में प्राप्त हुई थी। इसके लिए प्रदान की गयी प्राविधिकी स्वीकृति की प्रति कार्यालय द्वारा लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था। इस कार्य के सम्पादन के लिए अधीक्षण अभियंता स्तर से अनुबंध संख्या-07/एस0ई0-9 2016-17 दिनांक 06 जून 2016 का गठन मेसर्स ऋचा इंडस्ट्रीज़ के साथ किया गया था जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ एवं पूर्ण होने की तिथि क्रमश: 6 जून 2016 एवं 05 जून 2017 थी। इस कार्य की कार्यदायी संस्था प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग देहरादून थी। जून 2018 तक अनुबंधित राशि `31.78 करोड़ के सापेक्ष कार्य पर `3.56करोड़ की राशि व्यय की जा चुकी है। कुल व्यय राशि में से `2.61 करोड़ की राशि का भुगतान कार्य सम्पादन के लिए ठेकेदार को किया जा चुका था जबकि `0.43 करोड़ की राशि क्षतिग्रस्त मार्ग को ठीक करने एवं `0.52 करोड़ की राशि निविदा प्रकाशन / यूटिलिटि शिफ्टिंग पर की गयी थी। इस कार्य को जून 2017 में पूर्ण किया जाना था परंतु आतिथि तक कार्य अपूर्ण है जिसका मूल कारण 565 दिनो की अवधि में कार्य का सम्पादन नहीं होना था जिसमे से 254 दिनो की देरी कार्यदायी खंड के द्वारा स्वय के लिए Labour Court में पंजीकरण न किया जाना था। विदित है कि जो कार्य labour oriented होता है और उसमे 20 से अधिक labour के deployment किया जाना आवश्यक होता है, के लिए Labour Court में पंजीकरण किया जाना आवश्यक था। परिणामत: कार्य पर deployed labour की संख्या को 20 से अधिक नहीं बढ़ाया नहीं जा सका था। यदि प्रश्नगत licence प्राप्त कर ली जाती तो कार्य में हुए 254 दिनो के देरी को बचाया जा सकता था।

उपरोक्त को इंगित किए जाने पर कार्यालय अवगत कराया गया कि extra item पर कोई व्यय नहीं किया गया था। Labour Court में पंजीकरण नहीं किए जाने के संबंध में बताया गया कि इस संबंध में जानकारी नहीं होने के कारण Labour Court में पंजीकरण नहीं किया जा सका था।

कार्यालय का उत्तर extra item पर व्यय के संबंध में तथ्य से दूर है क्योंकि `0.43 करोड़ की राशि क्षतिग्रस्त मार्ग को ठीक करने एवं `0.52 करोड़ की राशि निविदा प्रकाशन /

यूटिलिटि शिफ्टिंग पर की गयी थी। पुनः labour court से licence प्राप्त नहीं किए जाने के संबंध में यह कहना कि इसकी जानकारी नहीं थी, का उत्तर मान्य नहीं है।

STAN

प्रस्तर (1):- अनुश्रवण एवं गुणवत्ता जांच।

प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा प्रति माह कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1), क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को कार्य के अनुश्रवण एवं गुणवत्ता जांच हेतु कार्य आवंटित किए जाते हैं और तत्पश्चात जांच प्रतिवेदन को विभागाध्यक्ष के पास आवश्यक कार्यवाही प्रेषित की जाती है। इसके साथ ही, मुख्य अभियन्ता (स्तर-1), क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून के द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत संपादित कार्य का निरीक्षण किया जाता है।

लेखा परीक्षा को उपलब्ध कराये गए अभिलेख के अनुसार अप्रैल 2015 से जून 2018 तक के अवधि में कुल 83 कार्य जांच हेतु आवंटित की गयी थी जिसमे से 11 कार्य, जिन्हे फ़रवरी 2018 से जून 2018 के मध्य आवंटित किया गया था, की जांच विभिन्न कारणो से लेखा परीक्षा तक लंबित थी। विभागीय उत्तर से यह भी परिलक्षित होता है कि खंडीय स्तर के अधिकारी के द्वारा अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने के कारण निरीक्षण संपादित नहीं किया जा सका था, फलस्वरूप, कार्य का पर्याप्त अनुरक्षण नहीं किया जा सका था। पुनः इस कार्यालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 49 संपादित कार्य का निरीक्षण अप्रैल 2014 एवं जनवरी 2018 के मध्य किया गया था। लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराई गयी प्रतिवेदन से अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत निरीक्षित कार्य के गुणवत्ता की स्थिति ज्ञात नहीं होती है और ना इसके संबन्धित किसी मानक की जानकारी भी नहीं होती है। इसके अलावे जनवरी 2018 से जुलाई 2018 के अंतर्गत कार्यालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किसी भी कार्य का निरीक्षण गुणवत्ता जांच के लिए नहीं किया गया था।

उपरोक्त को इंगित किए जाने पर, कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि मुख्य अभियंता को देहारदून से इतर टिहरी एवं उत्तरकाशी क्षेत्र के कार्य आवंटित थे। पुन: यह भी बताया गया कि देहरादून एवं हरिद्वार क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान के कार्यो में व्यवस्तता, उपार्जित अवकाश पर रहने तथा शासन द्वारा विभिन्न बैठको में शामिल होने के कारण निरीक्षण नहीं किया जा सका था।

निरीक्षण नहीं किए जाने के परिपेक्ष्य में कार्यालय द्वारा उत्तर में इंगित किए गए कारण मान्य नहीं है। पुनः जनवरी 2018 से जुलाई 2018 के मध्य कार्यालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किसी भी कार्य का निरीक्षण गुणवत्ता जांच नहीं किए जाने के संबंध में कोई यथोचित उत्तर नहीं दिया गया था। क्योंकि जो उत्तर दिया गया है वह अंकित कार्य से संबन्धित है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन सं॰/वर्ष	अनिस्तारित प्रस्तर	
		भाग - 2 (अ)	भाग - 2 (ब)
------ शून्य ------			

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
------ शून्य ------				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

------ शून्य ------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय मुख्य अभियन्ता, स्तर-I, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

   (i) शून्य

2. सतत् अनियमितताएः

   (i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं0	**नाम**	**पदनाम**
1.	ई॰ राजेंद्र गोयल	प्रभारी मुख्य अभियन्ता, विगत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक

4. विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे : **लागू नहीं**

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय मुख्य अभियन्ता, स्तर-I, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या, पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार (आर्थिक खण्ड - II), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून - 248195 को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
आर्थिक क्षेत्र -2